न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर

मु.फौ.वाद संख्याः 123/2022

कम्प्यूटर नंबरः 133/2022

नवी हसन प्रति कामरान

धारा–363, 366 भा.द.सं.

मु.अ.सं.–132/2022

थाना–खटीमा।

<u>दिनांक 21.03.2023, वादहू:</u>

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रकीर्ण पत्रावली पुनः पेश हुई। प्रार्थी–वादी नवी हसन उर्फ नवी मोहम्मद मय विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल माजिद सिद्दीकी न्यायालय में उपस्थित है।

प्रार्थी–वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी, जिसमें थाना खटीमा द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी है, प्रार्थी उक्त मामले में आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है जिस कारण उक्त कार्यवाही समान्त किया जाना न्यायहित में है। अतः उक्त मामल में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर मामला समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

अतः मामले की परिस्थितियों में जबकि प्रार्थी–वादी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही नही करना चाहता है एवं केस डायरी के अवलोकन से विवेचक द्वारा भी विधिपूर्वक उचित विवेचना किया जाना दर्शित है, विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में कोई अनियमितता दर्शित नहीं है एवं विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा पहुंचे गये निष्कर्ष पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है तथा मामले में प्रथम दृष्ट्या संज्ञान लिए जाने हेतु पर्याप्त आधार दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस मामले को लम्बित रखने से किसी न्यायिक उददेश्य की पूर्ति की संभावना भी नहीं है, अतः विवेचक की ओर से प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा
जिला उधम सिंह नगर।